न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्र.क्र. /16–17 निगरानी

सुरेश पिता रामचन्द्रजी, आयु–42 वर्ष,
जाति–ब्राहमण, धंधा–कृषि,
निवासी–ग्राम उटवास तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन ..... आवेदक

विरूद्व

लक्ष्मीनारायण पिता राजारामजी, आयु–39 वर्ष,
जाति–ब्राहमण, धंधा–कृषि,
निवासी–ग्राम उटवास तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन ..... अनावेदक

विषय :– अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/13–14 में पारित आदेश दिनांक 8–01–2016 से असंतुष्ट होकर निगरानी धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत :–

मान्यवर महोदय–

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

–संक्षिप्त तथ्य–

1, यह कि अनावेदक द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का आवेदन पत्र आवेदक की भूमिस्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 29 मे से 0.10 है0 का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया था जो कि प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/13–14 पर तहसील न्यायालय बड़नगर में दर्ज हुआ। अनावेदक का मूल आवेदन पत्र धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का आवेदक की अनुपस्थिती में किये गये सिमांकन दिनांक 23–10–2013 पर आधारित था। अनावेदक द्वारा जिस सर्वे क्रमांक 29 स्थित ग्राम उटवास तहसील बड़नगर का सिमांकन करवाया गया था उस सर्वे क्रमांक के चार भूमि स्वामी थे और राजस्व अभिलेख के मानचित्र मे चार स्वामियों के मध्य बटांकन नही हुआ था।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में अनावेदक द्वारा एक क्षेत्राधिकार विहिन आवेदन पत्र अंतरिम रूप से आधिपत्य दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका विधिवत उत्तर आवेदक द्वारा दिनांक 22–12–2014 को दिया गया। उक्त आवेदन प्रथम द्वष्टया क्षेत्राधिकार विहिन होकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 (3) की परिधी में नही आता था। किन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक का उक्त आवेदन पत्र दिनांक 8–01–2016 को आक्षेपित आदेश पारित कर स्वीकार कर लिया

~~XXIX(a)-BR(H)-11~~

(236)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-665-तीन/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	